राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजसमन्द

E-MAIL-sjerajsamand@yahoo.com

क्रमांक–सान्याअवि / 2021–22 / 391 दिनांक– 15/06/21

ई–निविदा आमंत्रण सूचना–01 / 2021–22

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा Rajasthan Transparency In Public procurement Act 2012 तथा Rajasthan Transparency In Public Procurement Rule 2013 तहत सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजसमन्द में जॉब बेसिस पर कार्य हेतु वर्ष 2021–22 कराने हेतु इच्छुक श्रम आपूर्ति कर्ताओं / स्वयं सहायता समूहों / संवेदकों से निम्नानुसार ई–निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	जॉब कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित वार्षिक लागत	2 प्रतिशत धरोहर राशि
1.	रसोईया / चौकीदार जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराने बाबत।	3600000	72000 नियत प्रारूप में 50 रू. के स्टाम्प पर घोषणा पत्र
	निविदा शुल्क	500	–
	आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क (RISL Processing Fees)	500	–

ई–निविदा कार्यक्रम

1.	ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डाटासीट इत्यादि डाउनलोड करने की तिथि व समय	**16.06.2021**	**दोपहर 12.00 बजे**
2.	ई प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि व समय	**16.06.2020**	**दोपहर 12.00 बजे**
3.	ई प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डाटासीट इत्यादि अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	28.06.2021	10.00 A.M.
4.	धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क (RISL Processing Fees) एवं निविदा दस्वावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	28.06.2021	11.00 A.M.
5.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	28.06.2021	2.00 P.M.
6.	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	29.06.2021	3.00 P.M.

ऑन–लाईन बिडिंग के लिए निविदादाता का सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। निविदा दस्तावेज मय शर्ते **sjerajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। तकनीकी निविदा उन्ही निविदादाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा दिनांक 11.01.2021 तक निविदा शुल्क का राशि निविदा प्रतिभूति राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो की सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजसमन्द के नाम तथा ई निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि 500/– रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट Managing Director RISL Jaipur (Payble at Jaipur) के नाम से कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे। तकनीकी निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जावेगी। उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजसमन्द

कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजसमन्द

क्रमांक– 391 फोन न0 02952 221169 दिनांक- 15/6/2021

निविदा सूचना 01/2021–22

UBN- SOC2122SLOB00019

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजसमन्द कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित संचालित विभिन्न राजकीय छात्रावासो का निम्न कार्य जॉब बेसिस पर कराये जाने हेतु इच्छुक श्रम आपूर्ति कर्ताओं/स्वयं सहायता समूहो/संवेदकों से ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है।

नाम कार्य	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	प्रोससिंग शुल्क	निविदा डोक्यूमेन्ट अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय
जिले में स्थित छात्रावासों में रसोईयां एवं चौकीदार हेतु निर्धारित कार्य	3600000	72000 नियत प्रारूप में 50 रू. के स्टाम्प पर घोषणा पत्र	500	500	28.06.2021 / 10.00 A.M.	28.06.2021 / 2.00 P.M.

(जयप्रकाश)
सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजसमन्द

क्रमांक– 392–95 दिनांक– 15/06/21

प्रतिलिपिः– निम्न को डी.पी.आर. दरो पर प्रकाशन हेतुः–

1. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय मुख्य समाचार पत्र में जिनकी प्रकाशित प्रतियों की संख्या 50 हजार प्रतियों से अधिक हो उसमें तथा एक क्षेत्रिय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में डीपीआर दर पर प्रकाशित करवाने का श्रम करे।
2. श्रीमान अति निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
3. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/ जिला कलक्टर/ जिला परिषद/कोष कार्यालय/U.I.T राजसमन्द।

सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजसमन्द

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजसमन्द

फोन न0 02952 221169E-MAIL-sjerajsamand@yahoo.com

क्रमांक–सान्याअवि / 2021–22 / 391

दिनांक– 15/06/2021

तकनीकी बिड (स्टेज–1)

विषयः– जॉब बेसिस पर रसोईया एवं चौकीदार जॉब बेसिस पर कराने के लिए निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता फर्म / संवेदक का नाम एवं डाक का पताः–..

2. निविदादाता फर्म / संवेदक का फोन एवं मोबाईल नम्बरः–...
3. निविदादाता का ई–मेल एड्रेसः–...
4. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांकः–...
5. हम सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजसमन्द द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या..................दिनांक..............में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
6. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरणः–

क्र. सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हॉ या नही	जारी होने की तिथि / वैद्यता अवधि / बैंक का विवरण
1.	ई–टेण्डर के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 500 / – जमा कराने का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर / बैंकर्स चैक नम्बर............ दिनांक....... राशि.................प्रस्तुत किये जाने का विवरण		
2.	ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क राशि रू. 500 जमा कराने का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर / बैंकर्स चैक नम्बर...............दिनांक........ ....राशि रूपयें ....प्रस्तुत किये जाने का विवरण		
3.	सूचना में अंकित धरोहर राशि रू.......... का घोषणा पत्र स्टाम्प नम्बर........ दिनांक..... .... का विवरण		
4.	श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र		
5.	पेन कार्ड (आयकर)		
6.	पी.एफ. पंजीयन प्रमाण पत्र		
7.	ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र		
8.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र		

उक्त रजिस्ट्रेशन के संबंधित सत्यापित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिये गये है।

9. .कार्य अनुभव का विवरण

क्र. स.	संस्था	कार्य का लागत

अनुभव प्रमाण– पत्रों के संबंध में सत्यापित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न कर दिये गये है।

(हस्ताक्षर)

10 राशि रूपये पन्द्रह लाख या अधिक प्रति वर्ष का वित्तीय टर्न ओवर का विवरण (गत तीन वर्षों का)

2017–18.............................

2018–19.............................

2019–20.............................

वित्तीय टर्न ओवर के संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्न ओवर का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न कर दिये गये है।

11. निविदाता का वित्तीय नेट–वर्थ जो कि दिनांक 31 मार्च 2021 को धनात्मक positive होना आवश्यक है इस संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न है।

12. तकनीकी समकक्षता– 01.04.2018 से 31.03.21 तक उक्त कार्य के समानान्तर कार्य जिसकी कीमत कम से कम 15 लाख रूपये वार्षिक या अधिक हो। इस कार्य के संबंध में सत्यापित अनुबन्ध/कार्यदेश संबंधी दस्तावेज निविदा के संलग्न है।

13. हमारे द्वारा निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैः–

1..

2..

3..

14. हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है।

15. हमें जानकारी है कि निविदा शुल्क ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा धरोहर राशि का नियत प्रारूप में 50 रू. के स्टाम्प पर घोषणा पत्र मूल रूप में (भौतिक रूप से) निर्धारित अवधि तक सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा होने की स्थिति में ही ई–निविदा खोली जावेगी। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक एवं घोषणा पत्र की स्केन कॉपी ई–निविदा के साथ अपलोड कर दी गयी है।

हम सहमत है कि छात्रावास अति संवेदनशील संस्था हैं निविदादाता द्वारा निर्धारित जाब बेसिस कार्य हेतु आवश्यक मांग की गई संख्या में मेन पॉवर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा किसी भी कर्मकार के अवकाश पर /अनुपस्थित रहने पर उसके स्थान पर दूसरे कर्मकार को तत्काल नियोजित करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/ हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो जिला कार्यालय को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी धरोहर राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजसमन्द को प्रदत्त करता हूँ/करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम............................
पत्र व्यवहार का पता................
....
मो0 न0.–...............................

नोटः–

1. उपरोक्त सारणी में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं अथवा नहीं उसके आगे हॉ या नहीं/ उसके जारी होने की तिथि/ वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक हैं इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. निविदा भरने की प्रक्रियाः–
   1. परिशिष्ट (अ) तकनीकी बिड हैं तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक पृष्ठ डिजिटल हस्ताक्षर शुदा अपलोड करें।
   2. परिशिष्ट (ब) प्राईस बिड हैं तकनीकी निविदा में पाये गये योग्य निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
   3. तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा पृथक पृथक फोल्डर बना कर अपलोड की जावें।

तकनीकी निविदा के मूल्यांकन विवरण

क्र.सं.	विवरण	अधिकतम अंक	प्राप्तांक
1.	संवेदक के रूप में रसोइया/चौकीदार कार्मिक उपलब्ध कराने का 5 वर्ष से अधिक का अनुभव प्रमाण पत्र	20	
2.	संवेदक के रूप में रसोइया/चौकीदार कार्मिक उपलब्ध कराने का 3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र	15	
3.	संवेदक के रूप में रसोइया/चौकीदार कार्मिक उपलब्ध कराने का 1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र	10	
4.	संस्था का गत 3 वर्षो का औसत टर्न ओवर 25 लाख रू से अधिक होने पर (2018–19, 2019–20, 2020–21) सनदी लेखाकार द्वारा आडिटेट (आय व्यय, प्राप्ति भुगतान, बैलेन्स शीट)	10	
4.(a)	फर्म का कार्मिक उपलब्ध कराने का तीन वर्ष का टर्न ओवर व सी.ए द्वारा जारी प्रमाण–पत्र	5	
5.	संस्था का गत 3 वर्षो का औसत टर्न ओर 15 लाख रू से अधिक होने पर (2018–19, 2019–20, 2020–21) सनदी लेखाकार द्वारा आडिटेट (आय व्यय, प्राप्ति भुगतान, बैलेन्स शीट)	5	
5.(a)	फर्म का कार्मिक उपलब्ध कराने का 5 वर्ष से अधिक का टर्न ओवर व सी.ए द्वारा जारी प्रमाण–पत्र	10	
6.	जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन नंबर	15	
7.	भविष्य निधि पंजीयन (ई0पी0एफ0) संस्था एवं 30.06.2020 के रिटर्न	15	
8.	श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र	15	
9.	ई0एस0आई0 रजिस्ट्रेशन नंबर व दिनांक	15	

नोटः– निविदा दाता के उपरोक्त विवरण के अनुसार कम से कम 70 अंक प्राप्त होने पर तकनीकी निविदा सफल होगी एवं तकनीकी रूप से सफल निविदा दाताओं के ही वित्तिय प्रस्ताव खोले जावेगे।जी.एस.टी का रजिस्ट्रेशन न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजसमन्द

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजसमन्द

फोन न0 02952 221169E-MAIL-sjerajsamand@yahoo.com

निविदा प्रपत्र–प्राईस बिड़ (स्टेज–2)

विषयः– जॉब बेसिस पर रसोईया एवं चौकीदार का कार्य कराने के लिए वित्तिय निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पताः–..

....

....

2. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाईल नम्बरः–..
3. निविदादाता का ई–मेल एड्रेसः–..
4. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांकः–..
5. निविदा शुल्क की राशि............अक्षरे.....................नगर (रसीद संख्या/डी.डी/बैंकर्स चैक नं. .... दिनांक.........................के द्वारा जमा करा दी गई है।
6. हम सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजसमन्द द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक........... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठो पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
7. मुझे निविदा (वित्तिय बिड) के साथ संलग्न शर्ते मंजूर है।
8. उपर्युक्त अंकित दर एक वर्ष तक वैध है।
9. रसोईया एवं चौकीदार के कार्य बाबत हमारी दर निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	कार्य/सेवा की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रति व्यक्ति)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति/मानव संसाधन दर	ई.पी.एफ. दर प्रतिशत (सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर भुगतान देय होगा)	ई.एस.आई. दर प्रतिशत (सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर भुगतान देय होगा)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (रू. में)	कुल राशि (प्रति व्यक्ति/मानव संसाधन दर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चौकीदार (अकुशल)	13	5850/–रू.		13 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत		
2	रसोईयां (कुशल)	30	6474/–रू.		13 प्रतिशत	3.25 प्रतिशत		

विभागीय निर्देशः–

1. श्रम विभाग द्वारा श्रम नियमो की पालना में समय समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार ठेकेदार द्वारा छात्रावासों में उपलब्ध करवाये गये कार्मिको (श्रमिको) को अनिवार्य रूप से ठेकेदार को ही न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए दरे देवें। यदि निविदादाता द्वारा अपनी दरो में न्यूनतम मजदूरी से कम दरो के प्रस्ताव दिये जाते है तो निविदा पर विचार नही किया जावेगा। न्यूनतम मजदूरी में से किसी प्रकार की कटौती नही की जावेगी।
2. उपर्युक्त तालिका में स्तंभ संख्या 01 से 04, 06 व 07 की पूर्तियां उपापन संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई है तथा शेष स्तंभ संख्या 05, 08, व 09 में बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्ठियां दर्ज की जा सकेगी।
3. जी.एस.टी. नियमानुसार निर्धारित दरो से पृथक भुगतान की जावेगी।
4. सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत सर्विस चार्ज की राशि शुन्य में मान्य नहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो विभाग को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी धरोहर राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजसमन्द को प्रदत्त करते/करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम...

पत्र व्यवहार का पता.....................................

....

मोबाइल नम्बर–..

राजकीय छात्रावासो में रसोईया/चौकीदारी के कार्य हेतु विशिष्ट शर्तेः–

निविदादाता के कर्मकारो कोः–

1. आवासी छात्रो को प्रेम व स्नेह व्यवहार से सुरक्षित रखना।
2. छात्रावास की सम्पत्ति का दूरूपयोग नही करना।
3. चौकीदारी कार्य ढंग से करते हुये ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिये।
4. चौकीदारी कार्य करने वाला शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।
5. छात्रावास का एवं आवासी छात्रो का चौकीदारी कार्य 24 घण्टे प्रतिदिन किया जाना है।
6. चौकीदारी कार्य करने वाले को खाने पीने के लिए किसी प्रकार की खाद्य सामग्री देय नही है।
7. चौकीदारी कार्य करने वाले को स्वयं के खर्चे पर ड्यूटी पर उपस्थित होना होगा।
8. आवासी छात्रों से किसी प्रकार की कठोरता व अप्रिय भाषा को प्रयोग न करना।
9. छात्रावास में लगाये गये पेड पौधो की साफ–सफाई रखना एवं नियमित पानी देना होगा।
10. आवासी छात्रो के अलावा अन्य बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध होगा।
11. छात्रावास परिसर में मद्यपान, धुम्रपान, गुटके, तम्बाकु का प्रयोग निषेध होगा।
12. चौकीदारी कार्य करने वाले को अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से अपने दायित्व की पूर्ति करना।
13. छात्रावास परिसर में सामग्री या सामान की संख्या में कमी, दुरूपयोग व जान बुझकर खराब करने पर चौकीदार/सेवाप्रदाय कर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
14. कार्य से अनुपस्थित रहने पर स्वीकृत/अनुमोदित दर का 2 गुना राशि अथवा दैनिक मजदूरी (अन्य) से कार्य करने की जो भी राशि अधिक हो सेवा प्रदाता को वहन करनी होगी।
15. रसोईया द्वारा सदैव समय पर छात्रों को नाश्ता, भोजन इत्यादि तैयार कर उपलब्ध करवाया जायेगा। इसमें विलम्ब नहीं होगा तथा भोजन अच्छे तरिके से पकाया जायेगा जिसमे स्वाद व गुणवत्ता का ध्यान रखा जायेगा।

मैने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 15 को भली भांति पढ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है।

दिनांकः– निविदादाता के हस्ताक्षर एवं नाम

निविदा की सामान्य शर्ते

1. ई–निविदा ही स्वीकार की जावेगी।
2. कार्य की अवधि कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी। जिसे जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार बढाया जा सकता है। जिसके लिए अनुबन्धित फर्म कार्य करने के लिए बाध्य है, इसके उपरान्त दोनो पक्षो की आपसी सहमति से ठेका अवधि बढाई जा सकती है।
3. निविदादाता/संस्था/फर्म/ऐजेन्सी को पूर्व में राजकीय कार्यालयो के अर्द्धशासकीय कार्यालय में या अन्य संस्थाओं में निविदा में उल्लेखित कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियॉ निविदा पत्र के साथ अपलोड करनी है।
4. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजसमन्द का राजसमन्द शाखा में भुगतान योग्य निविदा के साथ जमा कराना होगा। सफल निविदादाता को निविदा मूल्य की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृति के 5 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी। धरोहर का प्रतिभूति राशि में समायोजन कर लिया जाएगा। द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता की धरोहर राशि रोक कर शेष निविदादाताओ को आवेदन करने पर धरोहर राशि लौटा दी जाएगी। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदाओ पर विचार नही किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी.डी./बी.सी./चालान के जरिये जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नही दिया जाएगा।
5. सफल निविदादाता द्वारा अवयस्क एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नही लगाया जाएगा। किसी भी कर्मकार के अवकाश पर रहने या राजकीय अवकाश के दिनों मे अपेक्षित संख्या में कर्मकारों की सेवा प्रदाय करने का दायित्व सेवा प्रदायकर्ता का होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
7. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
8. दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
9. निविदादाता का श्रम विभाग से मानव श्रम आपूर्ति करने का पंजीयन करवाना आवश्यक है। साथ ही ई.एस.आई. व पी.एफ.विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। सम्बन्धित दस्तावेज निविदा के साथ अपलोड करने होगे। निविदादाता द्वारा जी.एस.टी. नम्बर का पंजीकरण संलग्न करना होगा।
10. निविदादाता को ठेका कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ठेका सबलेट नहीं करेगा।
11. निविदा की शर्तो का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।
12. निविदा के संबंध में अन्य कोई शर्ते मान्य नही होगी। सशर्ते निविदाओ पर विचार नही किया जावेगा।
13. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने /अवांछित गतिविधियो से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का निर्देश सेवा प्रदाय कर्ता को देता है तो ठेकेदार द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा तथा अन्य व्यवस्था करनी होगी।
14. निविदादाता द्वारा जॉब कार्य हेतु उपलब्ध करवाये गये कर्मकारो के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता को अपने कर्मकारो को पहचान/परिचय पत्र उपलब्ध कराने होगे।
15. अधीक्षक/जिला अधिकारी द्वारा निविदा से सम्बन्धित कोई भी सूचना सेवा प्रदाय कर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु निविदादाता को कार्य स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियो को नामजद करना होगा जो कि ठेकेदार के नाम से जारी पत्रो को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी हो। अधिकृत व्यक्ति राउण्ड द क्लॉक अधीक्षक के सम्पर्क में रहेगा। अधिकृत व्यक्ति अधीक्षक/जिला अधिकारी एवं प्रशासन के द्वारा समय–समय पर दिये जाने निर्देशो के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।

16. सफल निविदादाता द्वारा रसोईयां/चौकीदार के कार्य हेतु आवयश्कतानुसार उपलब्ध कराये गये कर्मकार किसी भी स्थिति में नियमित नियुक्ति के पात्र नही होगे।

17. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करवाये जाऐगे। यदि किसी समय निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध न कराने की स्थिति में निम्नानुसार शास्ति देय होगीः–

18. चौकीदार– 300 रूपये प्रति अनुपस्थिति दिवस
रसोइया– 1000 रूपये प्रति अनुपस्थिति दिवस

19. निविदादाता का श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधनो की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा, पालना नही करने की स्थिति में जिलाधिकारी को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

20. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानो के तहत कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह निविदादाता स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। निविदादाता को अपने कर्मकारो के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रो में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकॉर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

21. निविदा अनुमोदित होने पर सफल बोलीदाता संस्था/फर्म/ऐजेन्सी द्वारा अनुमानित मूल्य के 0.25 प्रतिशत रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा। जिसका व्यय सम्बन्धित निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा।

22. निविदादाता द्वारा अपने कर्मकारो को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से बैंक खाते के माध्यम से करना होगा चाहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से किसी भी कारण से देरी से भुगतान प्राप्त क्यो न हो।

23. निविदादाता द्वारा कार्य बीच में छोडने पर या उसका कार्य सन्तोषप्रद नही होने की स्थिति में निविदादाता को स्वीकृत निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त करने का पूर्ण अधिकार बोली स्वीकृतकर्ता प्राधीकारी को होगा।

24. निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिको की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए सरकार/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिम्मेदार नही होगा।

25. यदि निविदादाता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर पडने वाला समस्त भार निविदादाता से वसूला जाएगा।

26. यदि निविदादाता एवं उसके कर्मकारो के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कोई दायित्व नही होगा।

27. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को मानना होगा।

28. विभाग के अधीन जिले में राजकीय छात्रावास है, जिनकी सूची संलग्न है। जिला अधिकारी का यह अधिकार होगा कि वह जिले के अन्दर किसी भी छात्रावास में रसोई का कार्य/चौकीदार का कार्य करवाने/हटाने हेतु निविदादाता को आदेशित करेगा तथा निविदादाता को इन आदेशों के अनुरूप ही कार्य करना होगा।

29. निविदादाता के बिलों के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/संशोधन आदेशो के अनुरूप आयकर(टी.डी.एस.) जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) अथवा अन्य करो की कटौती की जावेगी।

जयपुर

30. प्रशासनिक दृष्टि से नियमित राजकीय कर्मचारियों के पदस्थापन अथवा स्थानान्तरण से उपरोक्त छात्रावासो में जॉब कार्य करवाने की स्थिति में परिवर्तन होने पर स्वीकृत निविदादाता को जिला अधिकारी के दिये गये निर्देशों के अनुसार जॉब कार्य छात्रावासों में करवाने के लिये बाध्य होगा।

31. किसी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही राजसमन्द जिले के न्यायालयों में ही होगी।

32. सेवा प्रदायकर्ता को अनुबन्ध के साथ उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी। इनके आचरण एवं उसे द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से निविदादाता जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदायकर्ता को अपने कर्मकारों को पहचान/परिचय पत्र उपलब्ध कराने होगे।

33. कार्य की आवश्यकता के अनुसार कर्मकारों की संख्या को कम व अधिक करने का पूर्ण अधिकार जिला अधिकारी को होगा।

34. कार्यालय द्वारा अनुमोदित फर्म को बैंक खातें में राशि हस्तांतरित की जावेगी। प्रतिमाह अनुमोदित फर्म को धनराशि जारी करने से पूर्व गत माह कार्मिकों को जारी किये गये भुगतानों को विवरण/चैको का विवरण अनुमोदित फर्म द्वारा विभाग को प्रस्तुत करना होगा। जिससे संतुष्ट होने पर विभाग द्वारा शेष धनराशि का ऑनलाईन भुगतान जारी किया जावेगा।
यदि अनुमोदित फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों से किसी भी प्रकार के भुगतान से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जावेगा। उसके उपरान्त ही भविष्य में भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

35. निविदा में दर्शायी गई दरों में किसी भी प्रकार की कांट–छांट नहीं की जावे। यदि कोई त्रुटि हो तो कांट कर दर स्पष्टतः अंकित की जावें तथा कटिंग पर अपने लघु हस्ताक्षर किये जावे।

36. सेवाओं मे कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर 7 दिवस के लिए कार्य में अपेक्षित सुधार का नोटिस दिया जावेगा। सेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करते हुए अनुमोदित फर्म/ फर्म को काली सूची में डालकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी।

37. बिल के साथ पूर्ववर्ती माह का पीएफ/ईएसआई/ के चालान जमा की प्रति एवं श्रमिकवार विवरण संलग्न करना होगा।

38. प्रत्येक माह ईएसआई/ईपीएफ का मासिक ईसीआर आगामी माह बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा विभाग के नोटिस बोर्ड पर एक प्रति प्रति माह लगानी होगी तथा निविदा कार्य समाप्त होने के एक माह में कुल ईएसआई/ईपीएफ जमा का विवरण प्रत्येक कर्मकार को निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

39. बिल एवं बिल के साथ संलग्नको पर निविदादाता अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

40. निविदादाता संबंधित जॉब कार्य के कर्मकारों को स्वंय के स्तर से प्रति माह दिये जाने वाले मानदेय का विवरण/स्लिप उपलब्ध करायेगा।

41. कर्मकार को न्यूनतम मानदेय का भुगतान करने तथा ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. का अंशदान संबंधित विभागों में जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म या निविदादाता की होगी।

42. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आये जाने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने को निर्देश सेवाप्रदाय कर्ता को देता है तो निविदादाता द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा।

43. निविदादाता के कार्यालय के स्थाई पते के संबंध में नोटेरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे।

44. निविदादाता भारत सरकार, राज्य सरकार व किसी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किये जाने के संबंध में 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

45. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड 1 भाग 2 नियम 68 एसआर 15 के आवश्यक प्रावधान इस निविदा में शामिल होगे।

46. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 / नियम 2013 के तहत सत्य निष्ठा संहिता (नियम 80) हित का विरोध (नियम 81) (नियम 82) तथा धारा 38 इस निविदा प्रारूप के भाग होंगे।
47. कन्या छात्रावासों में महिला चौकीदार उपलब्ध कराना होगा तथा महिला रसोइया उपलब्ध करानी होगी।
48. छात्रावास में शैक्षणिक सत्र परीक्षा होने के उपरान्त समाप्त हो जाता है, छात्र / छात्राओ को नियमित रूप से छात्रावास में नहीं रखा जाता है। इस अवधि में रसोइये की आवश्यकता नहीं होती है। शैक्षणिक अवकाश की अवधि में रसोइया को कोई भुगतान देय नहीं होगा।
49. रसोइया की आयु 18 से 50 वर्ष तक तथा चौकीदार की आयु 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए।
50. केन्द्र सरकार द्वारा जी.एस.टी की दरो में परिवर्तन करने पर तदनुसार जी.एस.टी. का पुर्नभरण किया जावेगा। फर्म का जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

दिनांकः—

सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजसमन्द

मैने / हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 50 तक को भली भांति पढ लिया है एवं समझ लिया है। मै / हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे / हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है। हमारे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र परिशिष्ट 'अ' एवं परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

दिनांकः—

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों की सूची जिसमे जॉब बेस पर रसोईया एवं चौकीदार के कार्य करवाने है

क्र. सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत क्षमता (छात्र)	स्वीकृत क्षमता (छात्रा)	जॉबबेस पर रसोईया कार्य की आवश्यकता	जॉबबेस पर चौकीदार कार्य की आवश्यकता
	राजकीय अनु0 जाति छात्रावास				
1.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास,आमेट	60	—	2	1
2.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, रेलमगरा	50	—	2	1
3.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, भीम	60	—	2	1
4.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, गिलुण्ड	25	—	1	1
5.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, पिपली आचार्यन	25	—	1	1
6.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, कुरज	35	—	2	1
7.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास,देवगढ़	65	—	3	—
8.	राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास, राजसमन्द	—	25	1	1
9.	राजकीय सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास, देवगढ़	—	35	2	—
	राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास,				
10.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास,केलवाड़ा	60	—	3	1
11.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास,खमनौर	35	—	2	1
12.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास,राजसमन्द	35	—	1	1
13.	राजकीय अम्बेड़कर छात्रावास, नाथद्वारा	40	—	2	—
14.	राजकीय बाबू जगजीवनराम महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास, राजसमन्द	—	75	2	1
	राजकीय विशेष पिछड़ा वर्ग छात्रावास				
15.	राजकीय देवनारायण आदर्श छात्रावास, राजसमन्द	50	—	2	1
	राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास				
16.	राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, राजसमन्द	—	50	2	1
	योग	540	185	30	13

Form of Bid-Securing Declaration STAMP OF RS 50/-

Date :
Bid No. '
Alternative No. :

To:

We, the undersigned, declare that:

Weunderstandthat,accordingtoyourconditions,bidsmustbesupportedbyaBid-SecuringDeclaration.

Weacceptdiatweaterequiredtopaythebidsecurityamountspecifiedinthe TermandConditionofBid, in the following cases, namely:-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening ofbids;
(b) whenwedonotexecutetheagreement,ifany,afterplacementofsupply/workorderwithinthe specifiedperiod;
(c) whenwefailtocommencethesupplyofthegoodsorserviceorexecuteworkaspersupply/work order within the timespecified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order isplaced;and
(e) Ifwebreachanyprovisionofcodeofintegrityprescribedforbiddingspecifiedinthe Actand Chapter VI of thesertiles.

Inadditiontoabove,theStateGovernmentshalldebarusfromparticipatinginanyprocurementprocess undertakenforaperiodnotexceedingthreeyearsincasewheretheentirebidsecurityoranypartthereof is required to be forfeited by procuringentity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

(i) we are not the successfulBidder;
(ii) theexecutionofagreementforprocurementandperformancesecurity1sfurnishedbyusincase we are successfulbidder;
(iii) thirty days after the expiration of ourBid.
(iv) the cancellation of the procurement process;or
(v) thewithdrawalofbidpriortothedeadlineforpresentingbids,unlessthebiddingdocuments stipulate that no such withdrawal ispermitted.

Signed:---

Name :---

In thecapacity of:-----------------------------

Duly authorized to 8ign the bid for and on behalf of:

Datedon dayof
CorporateSeal ....

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the **Joint Venture** that is submitting the bid.]